

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश-फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या-12/2018-19

केस का प्रकार :- नामान्तरण अपील

पारूल महतो, पति-श्री रसराज महतो अपीलकर्ता

-बनाम-

धनपती कर्मकार, पिता-स्व0 कानाई कर्मकार एवं अन्य-01..... विपक्षी

क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवा:
20/03/2022	<p>यह नामान्तरण अपील वाद अपीलकर्ता पारूल महतो, पति-श्री रसराज महतो, निवासी ग्राम-कुकड़ाखुपी, थाना-धालभूमगढ़, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने धनपती कर्मकार, पिता-स्व0 कानाई कर्मकार, ग्राम-तिलाबनी, थाना-धालभूमगढ़, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एवं अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को पक्षकर बनाकर अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या-218/2011-12 में दिनांक-16/08/2011 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील वाद दायर किया गया है। उक्त के आलोक में उभय पक्षों को सूचना जारी किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध है। अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील आवेदन पत्र पर सुनवाई हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। निम्न न्यायालय का नामान्तरण मुकदमा संख्या-218/2011-12 प्राप्त हैं। अपीलकर्ता की ओर से अपील आवेदन के साथ वकालतनामा, Title (Partition) Suit No.17 of 2003 एवं Execution Case No.-3/2011 की छायाप्रति एवं Limitation Act.-5 का आवेदन के साथ दाखिल किया गया है।</p> <p>अपीलकर्ता ने अपने अपील आवेदन पत्र द्वारा बताया कि मौजा-तिलाबनी, थाना नं0-201, खाता नं0-89, प्लॉट नं0-210, रकवा-21.00 डीसमल भूमि धनपती कर्मकार, पिता-स्व0 कानाई कर्मकार के नाम पर अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ ने नामान्तरण मुकदमा संख्या-218/2011-12, दिनांक-16/08/2011 द्वारा नामान्तरण को स्वीकृत किया गया है। हाल सर्वे 1964 के खतियान में वैष्णव महतो, पिता-स्व0 गणेश महतो ईत्यादि के नाम पर दर्ज है। खतियानी रैयत वैष्णव महतो की मृत्यु के बाद आवेदित भूमि को अपीलकर्ता एवं अन्य हिस्सेदार के बीच बराबर-बराबर हिस्से में विभाजित किया गया तथा घामोवाला महतो, पति-वैष्णव</p>	



महतो द्वारा उनके हिस्से की भूमि को प्रतिवादी धनपती कर्मकार पिता-स्व0 कानाई कर्मकार को बिक्री दलील संख्या-2134, दिनांक-26/08/2003 द्वारा बिक्री किया गया है। तब से उक्त भूमि पर धनपती कर्मकार का ही दखल कब्जा है। अपीलकर्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा बिना जाँच-पड़ताल, स्थल का निरीक्षण किये बिना तथा कागजात देखें बिना ही सिर्फ हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर नामान्तरण मुकदमा वाद को स्वीकृत किया गया है। अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा वर्तमान अपीलकर्ता इस नामान्तरण को खण्डन करने के लिए पर्याप्त मौका नहीं दिया गया और दिनांक-16/08/2011 को धनपती कर्मकार पिता-स्व0 कानाई कर्मकार के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया। अपीलकर्ता दिनांक-16/08/2011 के पारित आदेश से संन्तुष्ट नहीं है और निम्नांकित आधार पर इस वाद को खारिज किया जाना चाहिए:-

(1) अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा दिनांक 16/08/2011 को पारित किया गया आदेश गलत एवं अपोषणीय है।

(2) अंचल अधिकारी द्वारा आदेश पारित करते समय प्रश्नगत भूमि के संयुक्त खातेदार को सूचना या जानकारी देने की कोशिश नहीं की गयी। आवेदन के साथ संलग्न कागजात एवं तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा गया है।

(3) अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा इस मामले में संलग्न कागजात में विषय वस्तु को सही से आंकलन नहीं किया है। जहाँ तक नामान्तरण का सवाल है प्रश्नगत भूमि न्यायाधीश सीनियर डीवीएन, घाटशिला के न्यायालय में SR. DVNT.P(S) 17/2003 का अंतिम आदेश दिनांक-15/03/2011 एवं Exe. Case No.-3/11 के द्वारा दिनांक-31/01/2016 को अधिकार दिलाया गया। पारित आदेश में प्रश्नगत भूमि अपीलकर्ता के हिस्से में आया। उक्त भूमि का नामान्तरण अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ ने दिनांक-16/08/2011 को कर दी जबकी Exe. Case No.3/11 के द्वारा दिनांक-31/01/2016 को अधिकार दिलाया गया।

अपीलकर्ता द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि, उनके आवेदन को स्वीकार किया जाय तथा निम्न न्यायालय की नामान्तरण मुकदमा संख्या-218/2011-12 की माँग करते हुए वाद की सूनवाई हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाय।



द्वितीय पक्ष की ओर से दिनांक-04/10/2018 को कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है। उनका कथन है कि अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा पारित आदेश तथ्यों के तहत तथा नियमानुसार है। वर्तमान अपील वाद समय सीमा के अन्दर दायर नहीं किया गया है। नामान्तरण मुकदमा संख्या-218/2011-12 जो अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा दिनांक-16/08/2011 को पारित किया गया है जबकि अपीलकर्ता को पारित आदेश के ठीक 30 दिनों के अन्दर नामान्तरण के विरुद्ध अपील दायर करना चाहिए था। अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा पारित किया गया नामान्तरण में कहीं से भी अनियमितता नहीं है क्योंकि नामान्तरण आदेश पारित करने से पहले आम जनता के साथ-साथ सभी हिस्सेदारों के लिए नोटिस निर्गत किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर तथा नामान्तरण के सभी मापदण्डों को पालन करते हुए अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा पारित आदेश बिल्कुल सही है और उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। नामान्तरण मुकदमा को पारित करने के समय सिर्फ यह देखा जाता है कि भूमि पर दखल है या नहीं? यदि अपीलकर्ता का कोई ठोस सबूत है तो सहज ही वह सिविल कोर्ट में बिक्री केवाला दलील को रद्द करने हेतु सिविल वाद दायर कर सकता है। प्रश्नगत भूमि को खरीदने के बाद से ही प्रतिवादी संख्या-01 उक्त भूमि पर दखल में रहते हुए लगातार झारखण्ड सरकार को लगान देते आ रहा है। अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श करने के पश्चात आवेदक के आवेदन को खारिज करने का अधिकार है।

अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ से प्राप्त पारित नामान्तरण मुकदमा संख्या-218/2011-12 का अवलोकन किया। अभिलेख में संलग्न जाँच प्रतिवेदन, अपीलकर्ता के अपील आवेदन, प्रतिवादी का कारण-पृच्छा का बारी-बारी से अवलोकन किया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा उपस्थापित दस्तावेज एवं उनके लिखित बहस का अवलोकन किया। अपीलकर्ता के द्वारा उपस्थापित स्वत्व वाद संख्या-17/2003, का अवलोकन किया गया दिनांक-15/03/2011 को Ex party अंतिम आदेश पारित किया गया है। आवेदित भूमि की विवरणी के अनुसार वैष्णव महतो के नाम पर हाल सर्वे 1964 के खतियान में दर्ज है। वैष्णव महतो की मृत्यु के उपरान्त दिनांक-26/08/2003 को उनकी पत्नी घमोवाला महतो द्वारा धनपती कर्मकार पिता-स्व0 कानाई कर्मकार





को अपने जिविकापार्जन के लिए भूमि बेची गई है। जिसकी बिक्री केवाला की छायाप्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। तादोपरान्त दिनांक-31/01/2016 को Ex Case No.-3/2011 का अंतिम निर्णय पारित किया गया है।

अतः उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने के पश्चात तथा अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ से प्राप्त नामान्तरण मुकदमा संख्या-218/2011-12 तथा दिनांक-19/03/2020 को स्वयं स्थल का जाँच-पड़ताल करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि खतियानी रैयत की धर्म पत्नी घामोवाला महतो के द्वारा प्रश्नगत भूमि को धनपती कर्मकार, पिता-स्व0 कानाई कर्मकार को बिक्री केवाला संख्या-2134, दिनांक-26/08/2003 द्वारा द्वारा भूमि का बिक्री किया गया है। उनके दखल में रहने के कारण नामान्तरण भी हो चुका है तथा लगान भी अद्यतन है। तदनुसार अपीलकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा पारित नामान्तरण वाद को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार मूल अभिलेख अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ को वापस भेजें।

विधि-व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक-..20../..03../2020 को पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित


20/03/2020
भूमि सुधार उप समाहर्ता
घाटशिला।


20/03/2020
भूमि सुधार उप समाहर्ता
घाटशिला।